राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 610/2025

जगदीश नारायण मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण सेवाएं (अराजपत्रित), सी–स्कीम, जयपुर।
3. बिन्दु, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल का बास, पीएचसी सोनासर, ब्लॉक मलसीसर, जिला झुन्झुनूं जरिये चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र सिंह, केविएटर

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 16.03.2024 से उप निदेशक के पद पर समेकित बाल विकास सेवाएं एवं महिला एवं बाल विकास विभाग करौली में कार्यरत है प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण करौली से जयपुर (एपीओ) किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा एपीओ जयपुर से महिला बाल विकास, झालावाड़ स्थानांतरित किया गया। आगनबाड़ी केन्द्र खेड़ी शीश, खेड़ी घाटम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के संबंध में ग्रामीणों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कई शिकायतें की गई हैं तथा अपीलार्थी तथा श्री संजीव कुमार मीना सी.डी.पी.ओ. नादौती, श्रीमती प्रियंका मीना सी.डी.पी.ओ., टोडाभीम ने की गई शिकायत के आधार पर जांच की है तथा आदेश दिनांक 5.11.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने सीडीपीओ हिण्डौनसिटी जिला करौली को आदेश दिनांक 22.11.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

के आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री केदार लाल मीना और श्री राजेंद्र यादव हैंडपंप मिस्त्री को जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 03.12.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा निलंबित कर दिया गया। वर्तमान प्रकरण में दिनांक 04.12.2024 को सीडीपीओ हिण्डौनसिटी ने परियोजना हिंडौनसिटी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भुगतान के संबंध में अपीलार्थी के समक्ष आवेदन भेजा है और सीडीपीओ हिंडौनसिटी द्वारा भेजे गए आवेदन के आधार पर अपीलार्थी ने उसी दिन दिनांक 04.12.2024 को निदेशक आईसीडीएस के समक्ष परियोजना हिंडौनसिटी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन जारी करने के लिए विनियोग लेने की प्रार्थना के साथ आवेदन भेजा है (अनुलग्नक–6 एवं 7)। अपीलार्थी ने दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भुगतान और अन्य भुगतान के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने उन कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की है जिन्होंने कानून के प्रावधान के खिलाफ कार्य किया है। निदेशक, आई.सी.डी.एस ने दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–9) द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस भेजा है और अपीलार्थी को 3 दिनों के भीतर उपर्युक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उपरोक्त उल्लेखित नोटिस दिनांक 20.12.2024 को निदेशक द्वारा न्यूज पेपर पब्लिकेशन के आधार पर जारी किया गया है, इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 23.12.2024 (अनुलग्नक–10) द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब पर विचार किए बिना या तथ्य और कानून के प्रावधानों पर विचार किए बिना दिनांक 26.12.2024 को अलौच्य आदेश पारित कर दिया। दिनांक 26.12.2024 और आगे 15.1.2025 के आलौच्य स्थानांतरण आदेश किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पारित किए गए हैं, लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और आगे हेमेंद्र कुमार त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य, एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11114/2016 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यह माना गया है कि शिकायत के आधार पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 26.12.2024 और 15.1.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को उप निदेशके के पद पर करौली में निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.01.2024 के द्वारा इनके प्रति प्राप्त गंभीर शिकायतों के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में इनका मुख्यालय निदेशालय जयपुर नियत किया गया था। जिसकी पालना में इनके द्वारा आज दिनांक तक राज्य सरकार के निर्देशों/आदेशों की पालना नहीं की है जो कि इनकी लापरवाही का द्योतक है। इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच किया जाना अपेक्षित है। अपीलार्थी तत्पश्चात् विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से उपनिदेशक, महिला बाल

विकास झालावाड में पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है जिसकी भी अपीलार्थी द्वारा पालना नहीं की गई है। इन्डिया न्यूज समाचार पत्र में दिनांक 19.10.2024 को समाचार प्रकाशित हुआ कि आंगनबाडी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के चयन में धांधली होने के सूचना हिण्डौन परियोजना के पैनलों की वरीयता सूची लीक होने की चर्चायें, विभाग के कुछ कार्मिकों की दलालों के साथ सक्रियता होने एवं विभाग के कई उच्चाधिकारियों की संलिप्तता की भी चर्चाऐं समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। वरीयता क्रम में, चयनितों के घर पहुंचकर सुविधा शुल्क लेने के आरोप, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एवं सहायिका से सुविधा शुल्क वसूली की चर्चाऐं मुख्य रुप से रही। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा एपीओ आदेश दिनांक 26.12.2024 एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2024 द्वारा अपीलार्थी को गंभीर शिकायतों के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर मुख्यालय निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं किया गया। स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रभावित नहीं हो, इस प्रयोजन से आलौच्य आदेश द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया है। यह सही है कि नियम 25ए आरएसआर में एपीओ किए जाने हेतु परिस्थितियां/कारण अंकित है जिन दशाओं में सामान्यतः एक लोक सेवक को एपीओ रखा जाता है परन्तु इनसे इतर परिस्थितियों में भी लोकहित में यदि किसी कार्मिक को प्रशासनिक कारणों से एपीओ किया जाता है तो यह नियम विरूद्ध नहीं होगा। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रभावित नहीं हो इस दृष्टि से प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 733/2022 पुष्कर राज माली बनाम राज्य व अन्य को चुनौती दी गई और आदेश दिनांक 24.11.2022 के द्वारा अपील को खारिज फरमाया गया, जो निम्नांकित है :–

> *"Learned counsel for the appellant has also argued that under Rule 25-A of the Rajasthan Service Rules, 1951, the appellant can be kept APO only in certain contingencies and not for the reason that a departmental inquiry has been initiated against him or that he has not been allowed to take charge or on the ground that here is a dispute with regard to his taking over charge at the transferred place. The Government decisions referred in Rule 25-A are not exhaustive rather they are the instances wherein usually a Government servant can be kept under awaiting posting orders.*
>
> *In view of the aforesaid facts and circumstances, we do notfind any illegality in the judgment and order passed by the writ court. The appeal lacks merit and is dismissed."*

साथ ही अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2024 द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से नवीन पदस्थापन आदेश जारी किए जा चुके है। लिहाजा आदेश दिनांक 26.12.2024 वर्तमान में प्रभाव में नहीं रहा है। अतः उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत आदेश दिनांक 15.01.2024 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों के प्रतीक्षा से उप निदेशक, मबावि झालावाड किया गया है। अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर कार्यरत राज्य सेवा का अधिकारी है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)